# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 459/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1–बिडदाराम के कायम मुकाम–<br>1.1–खीयाराम पुत्र बिडदाराम<br>1.2–बाबुराम पुत्र बिडदाराम<br>1.3–चुतराराम पुत्र बिडदाराम<br>2–उदाराम पुत्र बस्ताराम<br>3–मूलाराम के कायम मुकाम–<br>3.1–अचलाराम पुत्र मूलाराम<br>3.2–हुकमाराम पुत्र मूलाराम<br>3.3–ओमाराम पुत्र मूलाराम<br>3.4–गोकलराम पुत्र मूलाराम<br>3.5–पेमाराम पुत्र मूलाराम<br>3.6–जडावदेवी पुत्री मूलाराम<br>3.7–टीपूदेवी पत्नी मूलाराम<br>4–चोलाराम पुत्र बस्ताराम<br>सभी जातियान जाट निवासीगण<br>पांचलाखुर्द तहसील ओसियां,<br>जिला जोधपुर | | 1– हेमाराम पुत्र वीरमाराम<br>2– भगवानाराम के कायममुकाम–<br>2.1–चोलाराम पुत्र भगवानाराम<br>2.2–सुखाराम पुत्र भगवानाराम<br>2.3–उतमाराम पुत्र भगवानाराम<br>2.4–जीमा पत्नी भगवानाराम<br>3– भेराराम के कायममुकाम–<br>3.1–कुसुमी पत्नी भेराराम<br>3.2–रमा पुत्री भेराराम<br>3.3–जैती पुत्री भेराराम<br>सभी जातियान जाट निवासी<br>ग्राम पांचलाखुर्द तहसील<br>ओसियां जिला जोधपुर<br>4– सरपंच ग्राम पंचायत,<br>पांचलाखुर्द पंचायत समिति<br>ओसियां जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 01–07–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2010 अनवान बिडदाराम वगैरा बनाम हेमाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री घेवरराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री पर्बतसिह भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांक 13–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांचलाखुर्द तहसील ओसियां के खसरा नंबरान 458 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नंबर 460 रकबा 25.16 बीघा, खसरा नंबर 459 रकबा 71.16 बीघा तथा खसरा नंबर 482 रकबा 22.03 बीघा तथा खसरा नंबर 457 का 0.13 बीघा कुल 5 खसरान की 133.5 बीघा भूमि बिडदाराम, उदाराम, मुलाराम, चोलाराम पि0 बस्ताराम कौम जाट के सहखातेदारी की भूमि थी । उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 459 की 25.13 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 27–12–80 के आधार पर म्युटेशन संख्या 561 दिनांक 5–11–81 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15–9–2010 को पेश की तथा अपील विलंब से प्रस्तुत करने के फलस्वरूप अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया । उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2016 के द्वारा मयाद बिन्दु के आधार पर खारीज कर दी जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ग्राम पांचलाखुर्द के खसरा नंबर 459 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि के रेकर्डेड खातेदार है । अपीलांटगण ने उक्त भूमि को कभी भी बेचान नही किया था परंतु रेस्पो0 हेमाराम, भगवानाराम एवं भेराराम ने खसरानंबर 459 की भूमि मे से 25.13 बीघा भूमि की फर्जी रजिस्ट्री अपीलांटगण से करवा ली, वर्तमान अपीलांट को उक्त फर्जी बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन की जानकारी होने पर पुलिस थाना ओसियां कोर्ट के मार्फत एक परिवाद वर्ष 2010 मे एक परिवाद 420, 467,468, 471, 120बी आई.पी.सी. का पेश किया जिसमे बेचाननामे एफ.एल.एल मे गया तो उसमे अंगुठे फर्जी पाये जाने पर रेस्पो0 हेमाराम के खिलाफ मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ओसियां मे चालान पेश हुआ ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये म्युटेशन संख्या 561 की जानकारी होते ही उसको निरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट मे रखते हुए अपील को 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ठोस कारण नही होने से अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट को उक्त फर्जी बेचान के आधार पर की जानकारी होने पर उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामे को निरस्त करवाने बाबत दावा मुंसिफ मजिस्ट्रेट ओसियां पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर वर्ष 1981 मे स्वीकृत हुआ था जो विधिसम्मत है । अपीलांट का यह कथन कि बेचाननामा गलत एवं फर्जी था तो बेचाननामा फर्जी होने का तथ्य अभी तक किसी कोर्ट से साबित नही हुआ है न ही अब तक रजिस्टर्ड बेचाननामे को किसी कोर्ट ने निरस्त किया है, ऐसे मे बेचाननामा जब तक अस्तित्व मे है, उसके आधार पर निष्पादित एवं स्वीकृत किये गये म्युटेशन को इस अपील के जरिये निरस्त नही किया जा सकता है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 29 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील मे विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही किया जाने से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की इस अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तथाकथित बेचाननामे मे बेचानकर्ता उदाराम एवं चोलाराम के अंगुठा निशान फर्जी होने का कोई प्रमाण या सबूत रिकार्ड पर नही है तथा प्रस्तुत अपील मे प्लीडिंग का भी कोई ठोस आधार नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 दिनांक 5–11–1981 तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 जो कि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर दिनांक 5–11–81 को स्वीकृत किया गया है, जिसमे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 जो कि वर्ष 1981 मे स्वीकृत हुआ था, उसके विरूद्ध लगभग 29 वर्षो के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष वर्ष 2010 मे अपीलांटगण ने यह कहते हुए प्रथम अपील पेश की कि उनके द्वारा ग्राम पांचलाखुर्द के खसरा नंबर 459 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि को कभी भी बेचान नही किया था परंतु रेस्पो0 हेमाराम, भगवानाराम एवं भेराराम ने खसरा नंबर 459 की भूमि मे से 25.13 बीघा भूमि का फर्जी बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करवा लिया जिसे अपील के जरिये निरस्त करवाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष 29 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही करने से अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज की है, जिसमे हम हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान प्रकट किया कि उनके द्वारा वर्ष 2010 मे रेस्पो0गण के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 467,468, 471, 120बी आई.पी.सी. का प्रस्तुत किया था, जिसमे एफ.एल.एल मे बेचाननामे पर अंगुठे फर्जी पाये जाने पर रेस्पो0 हेमाराम के खिलाफ मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ओसियां मे चालान पेश हुआ तथा रजिस्टर्ड बेचाननामे को निरस्त करवाने बाबत दावा मुंसिफ मजिस्ट्रेट ओसियां पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है परंतु ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर उपलब्ध नही है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 जो कि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, ऐसे मे केतागण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज को जब तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता है, तब तक बेचान के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन को इस म्युटेशन की अपील के जरिये निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है । चूँकि अपीलांट के कथन अनुसार अपीलांटगण ने उक्त तथाकथित बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत तथा उक्त बेचाननामे पर किये गये अंगुठा निशान को

फर्जी करार दिलाने बाबत सक्षम न्यायालय मे परिवाद पेश कर रखे है तो उक्त परिवादो मे पारित निर्णयो के पश्चात ही अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के संबंध मे किसी तरह का आदेश पारित किया जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 561 ग्राम पांचलाखुर्द यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर